सर्व शिक्षा अभियान

सब पढ़ें सब बढ़ें

स्कूल प्रबन्धन समितियां संभालेंगी शिक्षा की बागडोर

हिमाचल प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा स्तर पर शैक्षणिक परिदृश्य को सुधारने हेतु जन भागीदारी की अनिवार्यता को समझते हुए चुने हुए प्रतिनिधियों व अभिभावकों के सीधे हस्तक्षेप को सुनिश्चित करने के लिए समय–समय पर निरन्तर प्रयास हुए हैं। इन प्रयासों की मूल भावना यह थी कि समाज के सभी व्यक्ति अपने बच्चों की शिक्षा व्यवस्था के संचालन में आगे आएं। फलस्वरूप 'शिक्षा संहिता ' में स्कूल स्तर पर अभिभावक संघ के गठन का प्रावधान किया गया। वर्ष 1996 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु प्राथमिक पाठशालाओं में ग्रामीण शिक्षा समिति का गठन किया गया। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत सामुदायिक सहभागिता के अनुभवों ने इस धारणा को और भी पोषित कर दिया कि यदि हम शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निहित उद्देश्यों को शीघ्र प्राप्त करना चाहते हैं तो जन सहयोग एवं भागीदारी अत्यन्त आवश्यक है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी विद्यालय स्तर पर ग्रामीण शिक्षा समिति व मातृ/अभिभावक–अध्यापक संघ का गठन किया गया। स्कूलों को दिए जाने वाले अनुदानों को ग्रामीण शिक्षा समिति के माध्यम से खर्च करने का प्रावधान भी किया गया। स्कूल विकास में ग्रामीण शिक्षा समिति एवं मातृ/अभिभावक–अध्यापक संघ प्रभावशाली ढंग से अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें इसके लिए समय–समय पर प्रशिक्षण एवं जागरूकता शिविरों का आयोजन भी किया जाता रहा। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों /प्रयोगों की जानकारी दी गई, ताकि वे इन नवाचारों को समझ सकें और अपना सहयोग स्कूल स्तर पर दे सकें । फलस्वरुप विगत कुछ वर्षों में स्कूल के कार्यकलापों में लोगों की भागीदारी बढ़ी है।

वर्तमान में प्रचलित ग्रामीण शिक्षा समिति में ग्राम पंचायत प्रधान पदेन अध्यक्ष हैं परन्तु पंचायत प्रधान के कार्य क्षेत्र में तीन से चार स्कूल आते हैं तथा पंचायत प्रधान द्वारा प्रत्येक स्कूल के लिए अलग से समय देने में कठिनाई अनुभव की गई हैं । जिसके फलस्वरूप विद्यालय विकास हेतु लिए जाने वाले निर्णयों में देरी/रुकावट का अनुभव किया गया है। इसके अतिरिक्त इस समिति में अभिभावकों का प्रतिनिधित्व भी कम था । ग्रामीण शिक्षा समिति की बैठकें स्कूल स्तर पर दिए जाने वाले अनुदानों के उपयोग तक ही सीमित रही है। बच्चों के शैक्षणिक स्तर की बेहतरी हेतु प्रयासों पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया और न ही समुदाय में स्कूलों के प्रति स्वामित्व की भावना को जागृत किया जा सका।

बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम–2009 (35/2009) को संसद द्वारा पारित किये जाने के उपरान्त दिनांक 26 .08.2009 को महामहिम राष्ट्रपति महोदय का अनुमोदन प्राप्त हो चुका हैं इस अधिनियम को भारत के राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 27.08.2009 को प्रकाशित कर दिया गया है। इस अधिनियम को लागू करने के लिए भारत सरकार द्वारा शीघ्र ही अधिसूचना जारी करना प्रस्तावित है। इस अधिनियम की धारा– 21 के अनुसार प्रत्येक स्कूल में स्कूल प्रबन्धन समिति का गठन किया जाना वांछित हैं जो कि निम्न **कार्य करेगी,**

(क) स्कूल के कार्यों का अनुश्रवण करना।
(ख) स्कूल विकास योजना को तैयार करना और संस्तुति करना ।
(ग) सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण अथवा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त अनुदान के उपयोग का अनुश्रवण तथा
(घ) निर्धारित किए जाने वाले उन सभी कार्यों को करना।

बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम–2009 के लागू होने के उपरान्त स्कूल प्रंबन्धन समितियों का गठन किया जाना आवश्यक है।

स्कूल प्रंबन्धन में अभिभावकों, शिक्षकों व पंचायत प्रतिनिधियों की भागीदारी को सुनिश्चित करने, ग्रामीण शिक्षा समिति व मातृ/अभिभावक–अध्यापक संघ इत्यादि के स्थान पर मुख्यतः अभिभावकों व शिक्षकों पर आधारित समिति गठित करते हुए **बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम–2009 के प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्य से प्रदेश के प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों में** निम्नलिखित **उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए** स्कूल प्रबंधन समिति के गठन का प्रस्ताव **सरकार के समक्ष रखा गया।**

- बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम–2009 के लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करना।
- प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा निर्धारित उपलब्धता नामांकन, ठहराव एवं शैक्षिक उपलब्धि के लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करना।
- स्कूल प्रबंधन में अभिभावकों व शिक्षकों की भागीदारी को सुदृढ़ करना।
- सरकार व अन्य स्रोतों से प्राप्त स्कूल अनुदानों, सुविधाओं के उपयोग के निर्णय , कार्यान्वयन व अनुश्रवण हेतु अभिभावक–शिक्षक समुदाय को सशक्त करना।
- विद्यार्थियों के शैक्षणिक उपलब्धि स्तर में सुधार हेतु सामुदायिक भागीदारी बढ़ाना।
- स्कूल विकास एवं प्रबन्धन हेतु सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करते हुए समुदाय में स्कूलों के प्रति स्वामित्व की भावना जागृत करना।'

हि. प्र. सरकार मंत्रिमण्डल की 25 फरवरी, 2010 को हुई बैठक में यह प्रस्ताव पारित कर दिया गया तथा तुरंत प्रभाव से स्कूल प्रबन्धन समितियों के गठन के निर्देश दिए गए।

हिमाचल प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत स्कूलों में 'बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम -2009' (35/2009) के अन्तर्गत स्कूल प्रबन्धन समिति का गठन

1. स्कूल प्रबन्धन समिति

बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम–2009 **(35/2009)** के अनुच्छेद 21 में दिए गए प्रावधान के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश के प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों तथा प्रारम्भिक शिक्षा स्तर पर हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध सरकार से सहायता प्राप्त निजी स्कूलो में स्कूल प्रबन्धन समितियां गठित की जायेगी।

2. स्कूल प्रबंधन समिति के गठन के उद्देश्य

- बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम–2009 के लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करना।
- प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा निर्धारित उपलब्धता नामांकन, ठहराव एवं शैक्षिक उपलब्धि के लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करना।
- स्कूल प्रबंधन में अभिभावकों व शिक्षकों की भागीदारी को सुदृढ़ करना।
- सरकार व अन्य स्रोतों से प्राप्त स्कूल अनुदानों, सुविधाओं के उपयोग के निर्णय, कार्यान्वयन व अनुश्रवण हेतु अभिभावक–शिक्षक समुदाय को सशक्त करना ।
- विद्यार्थियों के शैक्षणिक उपलब्धि स्तर में सुधार हेतु सामुदायिक भागीदारी बढ़ाना।
- स्कूल विकास एवं प्रबन्धन हेतु सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करते हुए समुदाय में स्कूलों के प्रति स्वामित्व की भावना जागृत करना।

3. स्कूल प्रबंधन समिति की संरचना

स्कूल प्रबंधन समिति में स्कूल में पढ़ रहे सभी छात्रों के अभिभावक/संरक्षक और इन स्कूलों में कार्यरत अध्यापक शामिल होंगे। क्योंकि शिक्षक, अभिभावक तथा पंचायत/स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि स्कूल प्रबंधन समिति में शामिल होंगे। इसलिए प्रत्येक स्कूल के लिए अलग से ग्रामीण शिक्षा समिति/मातृ/अभिभावक–अध्यापक संघ का गठन नहीं किया जायेगा तथा वर्तमान में कार्यरत उपरोक्त संगठन नव गठित स्कूल प्रबन्धन समिति के गठन उपरान्त कार्य करना बन्द कर देंगे।

स्कूल प्रबन्धन समिति के निम्नलिखित दो मुख्य अंग होंगे:–
– स्कूल प्रबन्धन समिति की आम सभा
– स्कूल प्रबन्धन समिति की कार्यकारी परिषद्।

3.1 स्कूल प्रबन्धन समिति की आम सभा

स्कूल प्रबंधन समिति **की आम सभा** में स्कूल में पढ़ रहे सभी छात्रों के अभिभावक और इन स्कूलों में कार्यरत अध्यापक शामिल होगें। सम्बन्धित ग्राम पंचायत/स्थानीय निकाय के स्थानीय वार्ड के निर्वाचित प्रतिनिधि सभा के पदेन सदस्य होगें। प्रत्येक वर्ष शैक्षणिक सत्र के समापन के उपरान्त उन अभिभावक सदस्यों की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी जिनके बच्चे/आश्रित स्कूल से शिक्षा पूर्ण करके स्कूल छोड़ चुके होंगे तथा स्कूल में नए दाखिल हुए बच्चों के अभिभावक स्वतः ही स्कूल प्रबन्धन समिति की आम सभा के सदस्य बन जायेंगे।

3.1.1 स्कूल प्रबंधन समिति की आम सभा शैक्षणिक सत्र आरम्भ होने के उपरान्त अपनी पहली बैठक में अभिभावक सदस्यों में से एक अभिभावक को स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के तौर पर कार्य करने के लिए निर्वाचित करेगी। इस प्रकार निर्वाचित अध्यक्ष का कार्यकाल एक वर्ष के लिए होगा। कोई भी अभिभावक दोबारा अध्यक्ष निर्वाचित किया जा सकता है परन्तु उसका उस स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रहें छात्र का अभिभावक होना आवश्यक होगा। पंचायत पदाधिकारी/सदस्य स्कूल प्रबन्धन समिति की आम सभा का अध्यक्ष उसी अवस्था में हो सकेगा जबकि वह स्कूल में अध्ययनरत किसी छात्र का अभिभावक हो।

3.1. 2 स्कूल प्रबन्धन समिति की आमसभा आवश्यकतानुसार अपनी बैठकें आयोजित कर सकती है। परन्तु वर्ष में निम्नलिखित तीन बैठकें आयोजित करना आवश्यक होगा। स्कूल प्रबंधन समिति की आम सभा की पहली बैठक सभी स्कूलों में शिक्षा सत्र के आरम्भ होने के 15 दिनों के भीतर होगी,
दूसरी बैठक 5 सितम्बर को शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित होगी तथा
तीसरी बैठक शैक्षणिक सत्र समाप्त होने पर परीक्षा परिणाम घोषित होने वाले दिन आयोजित की जायेगी।

स्कूल प्रबंधन समिति की **आम सभा** किसी भी समय आवश्यकतानुसार अपनी बैठक बुलाने का निर्णय ले सकती है, जिसके लिए कम से कम दस सदस्यों द्वारा बैठक बुलाने के लिए सदस्य सचिव को नोटिस देना आवश्यक होगा।

3.1.3 स्कूल में कार्यरत वरिष्ठतम अध्यापक स्कूल प्रबन्धन समिति की आम सभा के पदेन सदस्य सचिव होंगे। वह समिति के बैठकों से संबंधित रिकार्ड का रखरखाव करेंगे और लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन को स्कूल प्रबंधन समिति **की आम सभा** द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुरूप सुनिश्चित करेंगे।

3.1.4 स्कूल प्रबंधन समिति की आम सभा की बैठक में कम से कम बीस प्रतिशत अभिभावक/संरक्षक उपस्थित होने चाहिए। स्कूल प्रबंधन समिति की बैठकों का खर्च स्कूल अनुदान अथवा इस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा निर्धारित कोष/मद से वहन किया जाएगा।

3.1.5 स्कूल प्रबंधन समिति **की आम सभा समिति का वार्षिक बजट अनुमोदित करेगी तथा पिछले वर्ष में किए गए कार्यो व खर्च की समीक्षा भी करेगी। आम सभा** अपनी बैठकों में विचार विमर्श/निर्णयों के लिए किसी भी एजेंडा आइटम को ले सकती है, जो स्कूल की कार्यप्रणाली सुधारने, स्कूल की विकास योजना को बनाने, स्कूल द्वारा प्राप्त अनुदान के उपयोग व अनुश्रवण और पूर्व की बैठकों में लिए गए विभिन्न निर्णयों के कार्यान्वयन तथा प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किए जाने वाले कार्यों के कार्यान्वयन से संबंधित हों।

3.2 स्कूल प्रबंधन समिति की कार्यकारी परिषद्

3.2.1 स्कूल से संबंधित कार्यों को सुचारू रूप से चलाने तथा आम सभा द्वारा लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए स्कूल प्रबन्धन समिति की आम सभा द्वारा एक कार्यकारी परिषद् का गठन किया जायेगा। कार्यकारी परिषद् आम सभा द्वारा पारित बजट को खर्च करने के लिए पूर्णतया अधिकृत होगी तथा यह अपने कार्य के लिए आम सभा के प्रति उतरदायी होगी।

3.2.2 स्कूल प्रबंधन समिति **की आम सभा के निवार्चित अध्यक्ष व पदेन सदस्य सचिव कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष व सदस्य सचिव भी होंगे।** सम्बन्धित ग्राम पंचायत/स्थानीय निकाय के स्थानीय वार्ड के निर्वाचित प्रतिनिधि भी कार्यकारी परिषद के पदेन सदस्य होंगे। माध्यमिक स्कूल (कक्षा 6 से 8) की स्थिति में वार्ड प्रतिनिधि के स्थान पर संबन्धित ग्राम पंचायत के प्रधान अथवा उप–प्रधान कार्यकारी परिषद के पदेन सदस्य होंगे।

स्कूल प्रबंधन समिति की आम सभा शैक्षणिक सत्र आरम्भ होने के उपरान्त अपनी पहली बैठक में अभिभावक सदस्यों में से एक अभिभावक को स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के तौर पर कार्य करने के लिए निर्वाचित करेगी।

3.2.3 **स्कूल प्रबन्धन समिति की आम सभा शैक्षणिक सत्र आरम्भ होने के 15 दिन के भीतर अपनी प्रथम बैठक में अभिभावक सदस्यों में से कार्यकारी परिषद् के लिए निम्नलिखित सदस्यों का चुनाव करेगी।**
60 अथवा कम छात्रों वाले स्कूलों में – 4 निवार्चित अभिभावक सदस्य ।
61 व उससे अधिक छात्रों वाले स्कूलों में– 6 निवार्चित अभिभावक सदस्य ।
यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्त सदस्यों का 50 प्रतिशत महिलाएं हो तथा विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों /अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के बच्चों के अभिभावक यदि कार्यकारिणी में चुन कर नहीं आते तो इस स्थिति में उन्हें विशेष तौर पर नामांकित किया जाएगा। स्कूल प्रबंधन समिति किसी भी मामले में विचार–विमर्श/विशेषज्ञ परामर्श के लिए अतिरिक्त तौर पर किसी भी सदस्य को सहयोजित कर सकती है। (उदाहरण के तौर पर क्षेत्र के आंगनवाड़ी कर्मी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, क्षेत्र का कोई भी विख्यात शिक्षाविद्, क्षेत्र में कार्य कर रहा गैर सरकारी संगठन ,युवक मंडल, महिला मंडल , स्कूल में कार्य कर रहा शिक्षक अथवा सेवानिवृत्त शिक्षक इत्यादि)। ये सदस्य स्कूल प्रबंधन समिति में विचार विमर्श में भाग ले सकते हैं परन्तु उन्हें मतदान का अधिकार नही होगा।

3.2.4 कार्यकारी परिषद् स्कूल प्रबंधन समिति की आम सभा द्वारा सौंपे गए कार्यों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी। जिसके लिए नियमित मासिक बैठकों का आयोजन किया जायेगा। कार्यकारी परिषद् प्रत्येक माह के प्रथम शनिवार (अवकाश होने पर प्रथम शुक्रवार) को मध्याहन् भोजन के उपरान्त बैठक का आयोजन अनिवार्य रूप से करेगी। इस प्रकार की प्रत्येक बैठक का खर्च स्कूल रखरखाव अनुदान से व्यय किया जाएगा। कार्यवाही रजिस्टर का रखरखाव सदस्य सचिव द्वारा किया जाएगा और उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में इसे रखा जाएगा। लेकिन किसी भी व्यक्ति द्वारा इसकी जांच के लिए इसे उपलब्ध करवाया जा सकता है।

3.2.5 कार्यकारी परिषद् का सदस्य सचिव बैठक की कार्यवाही को रजिस्टर में सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ रिकार्ड करेगा। निर्णयों के प्रमुख बिन्दुओं को स्कूल के नोटिस बोर्ड में प्रदर्शित किया जाएगा।

4. स्कूल प्रबंधन समिति की शक्तियां और कार्य :

स्कूल प्रबंधन समिति अपनी कार्यकारी परिषद् के माध्यम से निम्नलिखित कार्य करने के लिए प्राधिकृत होगी

4.1 शिक्षक के सार्वभौमिकरण हेतु सभी बच्चों के नामांकन व ठहराव को सुनिश्चित करना तथा ड्रॉप आउट रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाना ।

4.2 विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि में गुणात्मक सुधार के लिए कार्य करना तथा छात्रों के उपलब्धि स्तर का नियमित अनुश्रवण। सतत् समग्र मूल्यांकन प्रणाली के अनुसार विद्यार्थियों के मूल्यांकन का अनुश्रवण तथा छात्र प्रगति कार्ड की अभिभावकों सहित समीक्षा तथा निदानात्मक शिक्षा हेतु पग उठाना।

4.3 स्कूल विकास योजना को तैयार कर लागू करना तथा उसका अनुश्रवण।

4.4 सरकार अथवा अन्य साधनों से प्राप्त अनुदान व आय का नियमानुसार उपयोग सुनिश्चित करना ।

4.5 निःशुल्क पुस्तकें , लेखन सामग्री, वर्दियां अथवा अनुदान व छात्रवृत्तियों को पात्र छात्रों को समय पर उपलब्ध करवाना।

4.6 मध्याह्न भोजन योजना का कार्यान्वयन व अनुश्रवण तथा भोजन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना।

4.7 स्कूल के बच्चों के लिए स्वच्छ पेयजल और समुचित शौचालय सुविधाएं उपलब्ध करवाना तथा स्कूल परिक्षेत्र और शौचालयों की नियमित सफाई व रख रखाव के लिए आवश्यक पग उठाना।

4.8 विद्यार्थियों की नियमित स्वास्थ्य जांच का आयोजन करना तथा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से बच्चों के स्वास्थ्य कार्ड बनवाना।

4.9 निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षक के अधिकार अधिनियम, 2009 में दिए गए प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करना।

4.10 छात्रों एवं अध्यापकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना। स्कूल प्रबन्धन समिति को अधिकार होगा कि वह अध्यापकों की अनुपस्थिति अथवा समयबद्धता न अपनाने के दृष्टान्तों को केन्द्रीय मुख्य शिक्षक/खण्ड शिक्षा अधिकारी के ध्यान में लाकर आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुरोध करें। केन्द्रीय मुख्य शिक्षक व खण्ड शिक्षा अधिकारी इस अनुरोध पर आवश्यक कार्यवाही करके संबधित उप–शिक्षा निदेशक को सूचित करेंगे। यदि आम सभा में बहुमत द्वारा या कार्यकारी परिषद् में दो–तिहाई बहुमत से इस सन्दर्भ में कोई संस्तुति की जाती है तो विभागीय अधिकारी उस पर समयबद्ध कार्यवाही हेतु बाध्य होगें।

4.11 स्कूल प्रबन्धन समिति की आम सभा यदि किसी अध्यापक के स्कूल व छात्रों के विकास में विशेष योगदान की प्रशंसा कर शैक्षणिक सत्र की अन्तिम बैठक में यह संस्तुति करती है कि उसका तबदला न किया जाए तथा आम सभा यह प्रस्ताव उप–निदेशक प्रारम्भिक को भेजती है तो उस अध्यापक का अगले एक सत्र में तबादला उस स्कूल से नही किया जायेगा। इसी प्रकार स्कूल प्रबन्धन समिति की आम सभा यदि किसी अध्यापक के कार्य से सन्तुष्ट नहीं है तथा उस अध्यापक ने उस पाठशाला में अपना सामन्य ठहराव पूरा कर लिया है तो उस पाठशाला से उस अध्यापक का तबादला कर दिया जायेगा। इस तरह के मामले परीक्षा परिणाम आने बाद हाने वाली बैठक में ही लिए जा सकते हैं, उसके अलावा किसी बैठक में ऐसे निर्णय नही लिए जा सकते।

4.12 स्कूल प्रबन्धन समिति अंशकालिक व अनुबन्ध कर्मचारियों के कार्य की वार्षिक समीक्षा भी करेगी तथा अनुबन्ध का नवीनीकरण समिति की सिफारिश पर किया जायेगा।

4.13 विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की पहचान करवाकर उन्हें एकीकृत शिक्षा के दायरे में लाना।

4.14 स्कूल में आयोजित सह–शैक्षिक कार्यक्रमों, बाल मेलों, विज्ञान प्रतियोगिताओं तथा खेलों में सहयोग देना एवं समुदाय की भागीदारी बढ़ाना।

4.15 बजट उपलब्धता के अनुरूप स्कूल के लिए विभिन्न प्रकार की खरीद करना उदाहरणतः शिक्षण अधिगम सामग्री (टी.एल.एम.), फर्नीचर, स्टेशनरी और स्कूल के लिए आवश्यक सामान, प्रयोगशाला उपकरण, पुस्तकालय के लिए पुस्तकें, सरकारी योजनाओं के अनुरूप विद्यार्थियों के लिए लेखन सामग्री, विभिन्न प्रकार की किट, स्कूल की वर्दी, कम्प्यूटर और इससे सम्बन्धित उपकरण इत्यादि।

4.16 स्कूल भवन व अन्य सुविधाओं का निर्माण अथवा मरम्मत कार्य करना अथवा करवाना। स्कूल प्रबंधन समिति को अधिकार होगा कि वह विभाग के निर्देशानुसार निर्माण अथवा मरम्मत का कार्य स्वयं करें अथवा करवाएं। इसके लिए एक उप समिति का गठन किया जा सकता है अथवा स्कूल प्रबधंन समिति इसके लिए योग्य संस्था / पंचायत से भी अनुबन्ध कर सकती है।

4.17 वार्षिक स्कूल अनुदान तथा रख–रखाव अनुदान का नियमानुसार उपयोग भी स्कूल प्रबन्धन समिति के माध्यम से किया जायेगा।

4.18 विद्यार्थियों में पढ़ने की प्रवृत्ति विकसित करने के लिए स्कूल में पुस्कालय का समुचित उपयोग करवाना।

4.19 यदि आवश्यक हो तो सरकार की नीति के अनुसार अंशकालिक/अनुबन्ध अध्यापकों का चयन व प्रबन्धन करना परन्तु स्कूल प्रबन्धन समिति को प्राधिकृत अधिकारी के अनुमोदन के बिना किसी भी अंशकालिक/अनुबन्ध कर्मचारी को नियुक्त करने का अधिकार नही होगा।

4.20 स्कूल प्रबन्धन समिति की वार्षिक रिपोर्ट को आम सभा में प्रस्तुत करना तथा उसकी एक प्रति ग्रम पंचायत तथा केन्द्रीय मुख्य शिक्षक को उपलब्ध करवाना।

4.21 सरकार द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट कार्यों को करना।

5. स्कूल प्रबंधन समिति के वित्तीय संसाधन

5.1 स्कूल प्रबंधन समिति के वित्तीय संसाधन निम्न स्रोतों से प्राप्त किए जा सकते हैं:

5.1.1 सरकार से प्राप्त अनुदान, स्कूल अनुदान, रखरखाव अनुदान, सहायता अनुदान भवन निर्माण राशि अथवा सरकार द्वारा किए गए अन्य बजट आवंटन।

5.1.2 गैर सरकारी संगठनों, स्थानीय निकायों से प्राप्त अनुदान ।

5.1.3 अभिभावकों /समुदाय सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक अनुदान।

5.1.4 मेलों अथवा अन्य सामुदायिक प्रयोजनों के लिए स्कूल परिसर के उपयोग की फीस राशि।

5.1.5 स्कूल प्रबंधन समिति की निधि का बैंक खाता अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के सयुंक्त हस्ताक्षराधीन खोला जाएगा व संचालित होगा। प्रथम वार्षिक बैठक के उपरान्त अध्यक्ष के बदले जाने पर नए अध्यक्ष के हस्ताक्षर बैंक को सूचित किए जायेगें।

5.1.6 वार्षिक बजट आम सभा द्वारा पारित होगा तथा कार्यकारी परिषद् को बजट प्रावधानों के अनुसार खर्च का पूरा अधिकार होगा। प्राप्त अनुदान का रिकार्ड नियमानुसार रखा जाएगा।

5.1.7 खर्च का वार्षिक लेखा–जोखा आम सभा की बैठक के समक्ष सदस्य सचिव द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा तथा सोशल ऑडिट तथा सरकार द्वारा प्राधिकृत संस्था द्वारा ऑडिट के लिए उपलब्ध होगा।

6. प्रशिक्षण

6.1 प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा समय–समय पर स्कूल प्रबन्धन समिति के सदस्यों के प्रशिक्षण का प्रबन्ध किया जायेगा ताकि उनकी क्षमताओं का स्कूल के प्रबन्धन में अधिकाधिक उपयोग किया जा सके।

7 प्रोत्साहन

7.1 प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाली स्कूल प्रबन्धन समितियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रारम्भिक शिक्षा विभाग एक प्रोत्साहन योजना बनायेगा तथा इन समितियों को खण्ड व जिला स्तर पर सम्मानित किया जायेगा।

8. विविध

8.1 प्रदेश सरकार को अधिकार होगा कि वह समय–समय पर स्कूल प्रबन्धन समिति के नियमों में आवश्यकतानुसार सशोधन कर सकें।

8.2 स्कूल प्रबन्धन समिति अधिसूचित होने के उपरान्त प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत चल रहें स्कूलों में कार्यरत ग्रामीण शिक्षा समितियां/मातृ–अध्यापक संघ या अभिभावक अध्यापक संघ स्कूल प्रबन्धन समिति के गठन के उपरान्त कार्य करना बन्द कर देंगे तथा इनके द्वारा किए जा रहे कार्य स्कूल प्रबन्धन समिति द्वारा किए जायेंगे।

प्रस्तुति : ज्योति रावत

खण्ड स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान की गतिविधियां एवं उपलब्धियां

शिक्षा खण्ड करसोग–2 जिला मण्डी के किनारे पर स्थित है यहां पर सेब के बाग, सब्जियां आय के मुख्य साधन हैं। इस क्षेत्र का मुख्य देवता मूल मांहू नाग है। यह शिक्षा खण्ड चुराग नामक स्थान पर है, यह जिला मुख्यालय से 120 कि0मी0 दूर तथा राज्य मुख्यालय से 100 कि0मी0 है। एक तरफ सतलुज नदी और दूसरी तरफ शिकारी पर्वत माला स्थित है। इस शिक्षा खण्ड में 161 पाठशालाएं जिसमें 120 प्राथमिक 41 उच्च प्राथमिक (जिसमें 9 वरिष्ठ माध्यमिक 8 उच्च तथा 24 माध्यमिक स्तर) हैं। इस खण्ड में दो खण्ड स्रोत समन्वयक उच्च प्राथमिक और प्राथमिक नियुक्त हैं। इस खण्ड में सर्व शिक्षा अभियान को सुचारु रुप से संचालित करने के लिए 32 संकुल स्रोत केन्द्र स्थापित किए गए हैं जिसमें 23 प्राथमिक तथा 9 उच्च प्राथमिक स्तर के हैं। इस शिक्षा खण्ड में 2009–10 में 171 पाठशालाएं जिसमें 160 सरकारी तथा 10 प्राइवेट है। इन पाठशालाओं में पहली से पांचवी तक 4157 और छठी से आठंवी तक 3991 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे है। इन बच्चों को 520 अध्यापक जिसमें 400 पुरुष तथा 120 महिलाएं शिक्षा दे रहे हैं। इस खण्ड में शिक्षक और बच्चों का अनुपात 15:67 है। स्कूलों का संरचनात्मक ढांचा सुधारने के लिए इस खण्ड में सर्व शिक्षा अभियान द्वारा 80 संयुक्त शौचालय तथा 161 लड़कियों के लिए बनाये गये हैं। इस खण्ड में 46 पाठशालाओं में बिजली, 83 रैम्पस,171 में पीने के पानी का सुविधा, व 26 रसोईघर उपलब्ध हैं। अन्यों में कार्य प्रगति पर है।

शिक्षा खण्ड में तीन आई.डी. समन्वयक हैं जो इस खण्ड के विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की सहायता प्रदान कर रहे है। इस खण्ड में 121 विशेष आवश्यकताओं वाले छात्र सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इन बच्चों के लिए चिकित्सा जांच शिविरों का आयोजन करवा कर 50 बच्चों को प्रमाण पत्र प्रदान किए जा चुके हैं। इसी के अंर्तगत नेत्र सम्बन्धित रोग वाले 15 बच्चों को बड़े अक्षरों वाली पुस्तकें आबंटित की गई, 7 बच्चों को व्हील चेयर तथा 6 बच्चों को यात्रा भत्ता प्रति माह प्रदान किया जाता है। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की रा.प्रा.पा. चिण्डी में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें 36 अक्षम बच्चों ने विभिन्न खेलों में भाग लिया जिसमें से 9 बच्चे जिला स्तर के लिए चयनित किये गये।

अभियान के अंतर्गत हर बच्चे को शिक्षा मिल रही स्कूली घुमन्तू परिवारों के गुज्जर समुदाय से जुड़े बच्चों के लिए वैकल्पिक/गृह आधारित शिक्षा चलाई जा रही है। इस खण्ड में एक ई.जी.एस. पाठशाला भी इसी तरह सहायता कर रही है।

शिक्षा खण्ड करसोग – मंडी

इस खण्ड में लड़कियों को शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु मीना सप्ताह, बाल मेलों द्वारा उनकी प्रतिभा उजागर करने के अवसर प्रदान करवाये जा रहे हैं। सभी पाठशालाओं में मीना मंच, शक्ति मंच व माता अध्यापक संघों का गठन किया गया है। इस वर्ष कराटे, योग शिक्षा, सलाई कढ़ाई के कोर्स पाठशालाओं में चलाए गये थे।

शिक्षा खण्ड में गुणात्मक शिक्षा व बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने हेतु सभी प्राथमिक पाठशालाओं में सतत समग्र मूल्यांकन और आधार तथा आधार प्लस कार्यक्रम प्रतिदिन दो घंटे चलाया जा रहा है जिसके द्वारा प्रथम कक्षा से पांचवीं कक्षा तक के बच्चों को उनके पढ़ने लिखने के स्तर के अनुसार बांट कर विभिन्न विधियों से प्रभावी व रुचिकर शिक्षण प्रदान किया जा रहा है। छठी से आठवीं तक की कक्षाओं के लिए सम्बंधित कार्यक्रम 2009 से चलाया जा रहा है जिसमें दो घंटे अंग्रेजी विषय में बोलना, पढ़ना, तथा लिखने का अभ्यास करवाया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के साथ साथ सभी आठवीं तक के बच्चों को मध्याहन् भोजन दिया जा रहा है जिसके परिणामस्वरुप पाठशालाओं में दैनिक उपस्थिति बढ़ी है। अब बच्चे मानसिक व शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहने लगे हैं

सतत समग्र मूल्यांकन कार्यक्रम इस वर्ष सभी पाठशालाओं में सातवीं तक लागू किया जा चुका है जिसके अंतर्गत सभी पाठशालाओं का वार्षिक परीक्षा परिणाम इस विधि से ग्रेड अनुसार किया गया। इस खण्ड के सभी अध्यापकों को 15 दिवस का प्रशिक्षण सतत समग्र मूल्यांकन, टी.एल.एम. का प्रयोग इत्यादि पर प्रदान किया गया जिस पर पांच लाख रु. खर्च किये गये। सतत समग्र मूल्यांकन के लिए सामग्री सभी पाठशालाओं में उपलब्ध करवा दी गई है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम–2009 के तहत स्कूल प्रबन्धन समितियों का गठन कर सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने के लिए सभी पाठशालाओं की ग्रामीण शिक्षा समितियों के 6 सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया है तथा खण्ड स्तर पर भी सभी संकुलों के दो दो सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया है। कम्प्यूटर सहायक अधिगम कार्यक्रम के अंतर्गत रा.व.मा. शोरशन व रा.उ.पा. तत्तापानी में बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। पहली से आठवीं तक के सभी बच्चों को निःशुल्क पाठय पुस्तकें प्रदान की जा रही हैं।

घनश्याम कौशल
खण्ड स्रोत समन्वयक उच्च प्राथमिक
खण्ड करसोग–2 जिला मण्डी हि0प्र0।